141

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 152—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—11—2006 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 272/2005—06/अपील

....

ग्यादीन पुत्र जिमी उर्फ जिमीपाल कहार(मृतक) वारिसानः—

1— श्रीमती सरमनी बेवा ग्यायदीन
निवासी— ग्राम गहेली, तहसील मेंहगांव,
जिला—भिण्ड म0.प्र0

2— श्रीमती विमला पत्नी रामजीत पुत्री स्व0 ग्यादीन
निवासी—ग्राम जखारा, तहसील व जिला—ग्वालियर

3— श्रीमती खिलौनी बेवा रामाऔतार पुत्री स्व0 ग्यादीन
निवासी—ग्राम गोहद, जिला—भिण्ड(म0प्र0)

4— श्रीमती रामबेटी पत्नी रवीन्द्र पुत्री स्व0 ग्यादीन
निवासी—ग्राम झगरा, जिला—इटावा, उ0प्र0

5— श्रीमती शान्ती पत्नी ब्रजेश बाथम पुत्री स्व0 ग्यादीन
निवासी—ग्राम झगरा, जिला—इटावा, उ0प्र0, तहसील—भरतना

6— श्रीमती रिंकी पत्नी आशोक पुत्री स्व0 ग्यादीन
निवासी—आपागंज कदम साहब के बाड़े के पीछे, आपागंज
लष्कर, ग्वालियर, म0प्र0

..............................आवेदकगण

विरूद्ध

1— गेंदालाल पुत्र झुण्डे उर्फ झुण्डा,
निवासी— फ्रीगंज,जिला— उज्जैन (म0प्र0)

2— रामप्रसाद

3— रामलखन

4— मुलू

5— मुकन्दी, पुत्रगण दर्शन
निवासीगण— ग्राम गहेली तहसील मेहगांव,
जिला— भिण्ड (म0प्र0)

................अनावेदकगण

6— बाबू पुत्र जिमी उर्फ जिमीपाल,
निवासी —ग्राम गहेली, तहसील मेहगांव,
जिला— भिण्ड (म0प्र0)

7– रामसिया पुत्र सुन्ना कहार,
निवासी–ग्राम नसरोल तहसील गोहद
जिला–भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीवी अनावेदकगण

.....

श्री एस0एन0 भान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 19.9.16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 272/2005–06/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 30–11–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील मेंहगांव के ग्राम गहेली में स्थित विवादित भूमि कुल किता 17 कुल रकवा 2.874 के समभाग के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदक क्रमांक 1 पिता झुण्डे एवं अनावेदक क्रमांक 3 के पिता सुन्ना पुत्र वल्देव कहार थे। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2000 के आधार पर विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत गहेली से ठहराव क्रमांक 17 दिनांक 25.03.2002 से नामान्तरण करा लिया है, जिसे निरस्त किया जावे। इस आशय की अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव के न्यायालया में अपील अनावेदकगण द्वारा की गई। अनुवभिागीय अधिकारी मेंहगांव के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 110/2002–2003/अपील माल पर दर्ज किया जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 04.08.2004 से अपील निरस्त करते हुये ग्राम पंचायत गहेली द्वारा पारित ठहराव क्रमांक 17 दिनांक 25.03.2002 को यथावत रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 04.08.2004 से दुखी होकर अनावेदकगण ने न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के यहॉ द्वितीय अपील पेश की है। आयुक्त न्यायालय में विधितव प्रकरण क्रमांक 272/2005–06/अपील माल पर दर्ज किया जाकर दिनांक 30.11.2006 को दोनों न्यायालयों के द्वारा पारित प्रष्नाधीन आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में विधिवत उभयपक्षों को सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान किया जावे उसके पश्चात गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे । अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की

गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित वयनामा रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 18.07.66 विधि पूर्वक झुण्डे तथा सुन्ने द्वारा संपादित किया गया और उक्त वयनामा रिकार्ड पर होते हुये किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं गया है । ऐसे वयनामे के आधार पर ग्राम पंचायत गहेली द्वारा ठहराव क्रमांक 17 दिनांक 25.03.2002 के आधार पर नामांतरण किया गया है। उक्त नामांतरण विधि पूर्वक नियममनुसार किया गया है। जिसमें आपत्ति करने का कोई वैधानिक अधिकार अनावेदकगण को नहीं है। विवादित आदेश पारित करते समय द्वितीय अपील न्यायालय ने एक ही बिन्दु पर आदेश पारित किया है–" नामांतरण करने से पहले समस्त हितबद्ध पक्षकर को सुना जाना आवष्यक है ।" उपरोक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई विचार नहीं किया कि वयनामा संपादित कर देने के पश्चात उनके वारसिानों को विवादित संपत्ति में कोई हित शेष नहीं रह जाता है। जबकि विवादित वयनामा गेंदालाल आदि के पूर्व हितगामियों द्वारा संपादित किया गया है और उक्त संपादित वयनामा के आधार पर ही ग्राम पंचायत गहेली ने प्रस्ताव ठहराव पारित कर विवादित नामांतरण स्वीकार किया है तथा इस बात पर भी गौर नहीं किया है कि दिनांक 18.07.66 से ग्यादीन आवेदक वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से काबिज होकर फसल बोते व काटते चला आ रहा है और उसका वास्तविक कब्जा उपरोक्त भूमि पर है । जबकि इस निगरानी आवेदक के अनावेदक गेंदालाल आदि उज्जैन में निवास करते है तथा रामसिया जो सुन्ना का लड़का है नसरोल, गोहद में निवास करता है जो इस बात को दर्शाता है कि वादग्रस्त भूमि पर स्वतंत्र भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य ग्यादीन का है और ग्यादीन मौके पर निवास करता है । उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को जो कांकरेण्ट फाईडिंग की श्रेणी में आते है को निरस्त कर अनावेदकगण की अपील स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में वैधानिक प्रष्न पर विचार न कर विवादित आदेश पारित किया है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि ग्राम पंचायत गहेली द्वारा वैधानिक रूप से पारित किये गये ठहराव प्रस्ताव एवं नियमानुसार किये गये नामांतरण को अवैध बताते हुये गेंदालाल की अपील को स्वीकार करने में भूल की है । जबकि उक्त आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है और नियमानुसार भी

है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पंचायत गेहली द्वारा नामांतरण नियमों का कतई पालन नहीं किया गया । किसी भी प्रकार से न तो विज्ञप्ति का प्रकाशान कराया गया और न ग्राम में कोई मुनादी ही कराई गई है । न अनावेदकगण जो कि अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक झुण्डा तथा सुन्ना के पुत्र है, कीं सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया । ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण के संबंध में अपनाई जाने वाली सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण है । अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा अपने आदेश में यह तो माना है कि तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 18.07.66 को फर्जी पाते हुये आवेदकगण को आपराधिक प्रकरण में दोषी पाया गया था । विक्रय पत्र को किस भी सक्षम न्यायालय द्वारा अभी तक निरस्त करने का अधिकार नहीं है । विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामांतरण सही है । ऐसी धारणा अनुवभिागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में भूल की है। ग्राम पंचायत गहेली द्वारा जो नामांतरण आदेश पारित किया है वह विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2004 के आधार पर किया गया है न कि विक्रय पत्र दिनांक 18.07.66 के आधार पर । इस प्रकार किया गया नामांतरण स्वतः ही फर्जी है इसकी जांच अधीनस्थ न्यायालय को करना चाहिये थी । ऐसे फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ग्राम पंचातय को नामांतरण ही नहीं करना चाहिये था । इस संबंध में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। अतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जावे ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। प्रकरण में मात्र विचार योग्य एक ही बिन्दु है कि नामांतरण करने से पहले समस्त हितबद्ध पक्षकार को सुना जाना आवष्यक है । ग्राम पंचायत गहेली द्वारा विवादित भूमि पर नामांतरण करने से पहले नामांतरण नियम का कतई पालन नहीं किया गया है । इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा कतई विचार नहीं किया गया । यदि विचार कर लिया गया होता तो निष्चित रूप से ग्राम पंचायत गहेली द्वारा पारित नामांतरण आदेश को निरस्त करते और प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये वापिस किया जाता । रे0नि0 2002 पृष्ठ 49 लालीदेवी विरूद्ध श्रीमती कमलादेवी तथा अन्य राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 110

नामांतरण नियम नि0 27 नामांतरण का आदेश हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित नहीं किया गया । उद्घोषणा त्रुटिपूर्ण नियम 27 जो आज्ञापक है, अनुशरण नहीं किया गया–आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है ; ऐसी स्थिति में जहां नामांतरण नियम 27 का पालन नहीं हुआ हो वहां किया गया नामांतरण आदेश स्वतः ही दूषित हो जाता है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं कहे जा सकते है और अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा इन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । मै अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2006 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर